

प्रेषक,

एन०पी० लिंड,

विशेष सचिव,

३०४० शासन।

मेरा मे,

१ निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

३०४०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम यिआग।

लघुनक्ष : दिनांक : २४ जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति;

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-४२१/७६/एक/एवीएमवीटीवाई/२०१३-१४, दिनांक ०८ मई, २०१५, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-गाजियाबाद की न००३०, गाजियाबाद व न००४०००, मोटीनगर की ११ परियोजनाओं, जनपद-प्रतापगढ़ की न००४००, प्रतापगढ़ व घोन्हा की ०३ परियोजनाओं एवं जनपद-कौशाम्बी की न००४०, मङ्गलपुर की ०४ परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बहुल्य वस्तियों में इण्टरलाइंग व नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल १८ परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-३७ में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से ₹० ५५८.५४ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् ₹० २७९.२७ लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में शासनादेश संख्या-१८७५/६९-१-२०१३-७५(वजट)/२०१३, दिनांक ०५ दिसम्बर, २०१३ द्वारा जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-३७ में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त जनपदों में से केवल जनपद-कौशाम्बी की न००४०, मङ्गलपुर की ०३ परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तरभ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि ₹० ५४.०९५ लाख (रुपये चौंकन लाख नौ हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित रातों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-३२/६९-१-१३-१४(३१)२०१२टीसी, दिनांक १६ जनवरी, २०१३ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुग्रहन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका छण्ड-६ के अध्याय १२ के प्रस्तर-३१८ में घण्ठित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्र० २०१५/६९/१८७५/६९-१-२०१३

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस घोषणा के अन्तर्गत विभं एवं शही योजना के प्रतिवर्णों के अनुसार उपर्युक्तनुसार निहेत मद मध्य को जारीगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की परिणीतियों, मात्राएँ य गुणवत्ता आदि का सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय नियमितीयों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित करने के उपरान्त ये निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मट में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मट में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यापारीन अनुमत्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि डैक/डाकघर/डिपार्टमेंट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहीत न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय योग्य जायेगी।
7. उपर घायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसमृद्ध प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्णीत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का भारण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख नवीनीकरण अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं जरीदी उन्नति विभाग, 30 प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महात्मेशालार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश भी प्रति के साथ कोषागार का नाम, बातचर संचया, तिथि तथा सेखाशीर्षक यी सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस धनराशि में उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा दिया जाये और इसके बाद उपयोगिता उमानग-पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। विर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुक्त शासन को वापस करनी होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
 2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत योजनावत्तरंता प्राविधिक बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी वरितयों का विकास 051-निर्माण-03-गलिन वरितयों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाईंग नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सुरक्षा हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
 3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय लाप संख्या 2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व रागय समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीप
१३५
(एच०षी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-69/2015/1229(1)/69-1-2015 तिलांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी ठन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/मध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कौशाम्बी।
5. मुद्र्य कोपालिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई ३) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेव मास्टर, सूडा को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/फाइल्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(एच०षी० सिंह)
विशेष सचिव।

शिक्षण विभाग का नं. 2015/4229, 62। 1। 2015 (प्रतीक)। 1। दुलाल, 2015 का संवर्गन।

क्र. सं.	उच्चापद	प्रोफेशन/ काम	वास्ती/वाहन का नाम	(प्रत्यार्थी जाति का दरमां में)	
				परियोजना की कुल लागत	टिकटीय/अंतिम किट्टा के रूप में स्वीकृति योग्य उभारी
1	2	3	4	5	6
1	कौशिकी	माला, मालाया	वाडे सं 03 व 11 कटरा नगर व नया नगर हिंडीय में मुझनपुर चौराहे पर पौधबन फैड से पुलिया तक, याहिंद की टुकाल से बद्दू के घर के नागे तक एवं जागा अस्ट्रिजिट के आगे इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली लिमाण कार्य।	38.47	19.235
2	तदेव	तदेव	वाडे सं 07, और 09 नया नगर प्रथम में ईदगाह के गैरिडन में बद्दपन आदास में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली लिमाण एवं कलिश्वाल में याशी गोड़ का लिमाण कार्य। (पाठ 03)।	29.90	14.95
3	तदेव	तदेव	वाडे सं 07 व 09, नया नगर प्रथम व चूक नगर में मदरसा से मगरोहनी रोड तक टोन्क तरफ एवं रामानन्द लिमारी के पर से अस्ट्रिजिट तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली लिमाण कार्य।	39.82	19.91
योग (रूपये चौंचन लाख तक हजार पाँच सौ मात्र)				108.19	54.095

lal Singh
(एच०पी० सिंह)
दिशेष सचिव।